

वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अक्टूबर 2015-आश्विन 10, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम अंतिमबाला जैन पिता प्रहलाद जैन था। विवाह पश्चात् अब परिवर्तित होकर अंकिता जैन पति विशाल जैन हो गया है। अतः मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं समस्त पत्र व्यवहार एवं कार्यवाही इसी नाम से की जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(अंतिमबाला जैन)

(अंकिता जैन)

पति-विशाल जैन

(370-बी.)

पता-FLAT No. 101, Plot No. 103, पर्ल पास बिल्डिंग,
मंगल मूर्ति नगर स्कीम न. 77, बंगाली चौराहा,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, श्रुति साठे पति राजीव साठे Shruti Sathe W/o Shri Rajiv Sathe, निवासी विवेकानंद कॉलोनी, छिन्दवाड़ा, तहसील व जिला छिन्दवाड़ा यह घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम पुर्ववसु उपाध्ये पिता वी. वी. उपाध्ये Punaruasu Upadhye D/o Shri V. V. Upadhye है। जो आज तक स्कूल रिकार्ड्स में एवं अन्य समस्त कागजातों में है, को बदलकर आज से अपना नया नाम श्रीमती श्रुति साठे पति राजीव साठे पिता वी. वी. उपाध्ये Smt. Shruti Sathe W/o Shri Rajiv Sathe D/o Shri V. V. Upadhye कर रही हूँ। आज के दिन से मुझे मेरे नये नाम श्रीमती श्रुति साठे पति राजीव साठे पिता वी. वी. उपाध्ये Smt. Shruti Sathe W/o Shri Rajiv Sathe D/o Shri V. V. Upadhye के नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

नया नाम :

(पुर्ववसु उपाध्ये)

(श्रुति साठे)

(369-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र सिंह बागरी, आयु 27 वर्ष, पिता श्री राम मनोहर सिंह, निवासी ग्राम चचाई कॉलोनी, जिला अनूपपुर (म.प्र.) शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट में मेरा नाम महेन्द्र सिंह ठाकुर अंकित है, जबकि बी. ई. की अंकसूची

मैं मेरा नाम महेन्द्र सिंह बागरी अंकित है। महेन्द्र सिंह बागरी एवम् महेन्द्र सिंह आत्मज श्री राम मनोहर सिंह दोनों ही नाम मेरा है तथा मुझे महेन्द्र सिंह बागरी के नाम से जाना, पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(महेन्द्र सिंह ठाकुर)

नया नाम :

(महेन्द्र सिंह बागरी)

(372-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पूर्व में नीलेश त्रिपाठी पुत्र श्री एन. आर. तिवारी के नाम से जाना जाता था। अब मुझे नीलेश उर्फ नीतेश तिवारी पुत्र श्री एन. आर. तिवारी के नाम से जाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(नीलेश त्रिपाठी)

नया नाम :

(नीलेश उर्फ नीतेश तिवारी)

(373-बी.)

A/3, कम्पट लेक साईड चेलेट चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, पूर्व में अमितेश त्रिपाठी पुत्र श्री एन. आर. तिवारी के नाम से जाना जाता था। अब मुझे अमितेश उर्फ प्रीतेश तिवारी पुत्र श्री एन. आर. तिवारी के नाम से जाना व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(अमितेश त्रिपाठी)

नया नाम :

(अमितेश उर्फ प्रीतेश तिवारी)

(374-बी.)

A/3, कम्पट लेक साईड चेलेट चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

जाहिर सूचना

आम सूचना दी जाती है कि फर्म में वैभव बोरवेल पता म. नं. 29, हटेसिंग गोयल कॉलोनी, देवास मध्यप्रदेश पंजीयन क्र. 07/38/00004/13, दिनांक 31-05-2013 द्वारा फर्म एवं संस्थाएं उज्जैन में रजिस्टर्ड है।

उक्त फर्म में पहले दो भागीदार 1. श्री हरीशंकर राठौर पिता रघुनाथसिंह, 2. रामप्रसाद चौधरी पिता श्री गोपीचन्द चौधरी हैं। चूंकि उक्त फर्म में दिनांक 01-04-2015 से एक नवीन पार्टनर श्री प्रतापराव आवटे पिता श्री रामराव आवटे सम्मिलित हुए हैं। अतः आम जन को सूचनार्थ प्रेषित।

आनन्द सोलंकी,

(एडवोकेट)

कार्या. 207, एम. जी. रोड, देवास।

(365-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स लीलाराम चेलाराम फर्म जिसका पता शाप नम्बर-45, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/0059/15, दिनांक 02-06-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है, जिसके भागीदार 1. श्री लीलाराम पिता श्री चेलाराम, 2. श्री सुरेन्द्र पिता श्री ईश्वरदास चौपड़ा एवं 3. श्रीमती उषा पति श्री सुरेन्द्र चौपड़ा थे। दिनांक 13-07-2015 से 1. श्री लीलाराम पिता श्री चेलाराम उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं। इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है अब फर्म लीलाराम चेलाराम से कोई लेना-देना नहीं है। यह विदित हो।

तर्फे,

मेसर्स लीलाराम चेलाराम

1. श्री सुरेन्द्र पिता श्री ईश्वरदास चौपड़ा,

2. श्रीमती उषा पति श्री सुरेन्द्र चौपड़ा,

(भागीदार)।

(366-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स भागीरथ सेवाराम जिसका पता-दुकान नम्बर-39, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0140/15, दिनांक 27-08-2015 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री भागीरथ पिता श्री सेवाराम, 2. श्री अब्दुल सरदार पिता श्री अब्दुल मजीद, 3. श्री शहजाद भाई पिता श्री नने भाई थे। श्री भागीरथ पिता श्री सेवाराम का देहावसान दिनांक 06-01-2011 को हो गया था। जिस कारण वह पृथक् हो गये हैं उन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब उनकी जीवितवस्था में कर लिया था। अब फर्म मेसर्स भागीरथ सेवाराम से कोई लेना-देना नहीं है। यह विदित हो।

तर्फ़,

मेसर्स भागीरथ सेवाराम

1. श्री अब्दुल सरदार पिता श्री अब्दुल मजीद,
2. श्री शहजाद भाई पिता श्री नने भाई,

(भागीदार)।

(367-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स प्रभुलाल रमेशचन्द्र फर्म जिसका पता शाप नम्बर-50, नवीन फल एवं सब्जी मण्डी, तेजपुर गड़बड़ी, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00248/14, दिनांक 03-11-2014 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसके भागीदार 1. श्री हरीश डेमला पिता श्री गोरखनदास डेमला, 2. श्री आकाश पठेजा पिता श्री गोविंद पठेजा एवं 3. श्री इन्द्र पठेजा पिता श्री गोविंद पठेजा थे। दिनांक 31-07-2015 से 1. श्री हरीश डेमला पिता श्री गोरखनदास डेमला उक्त भागीदारी फर्म से अलग हो गये हैं। इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है। अब फर्म प्रभुलाल रमेशचन्द्र से कोई लेना-देना नहीं है। यह विदित हो।

तर्फ़,

मेसर्स प्रभुलाल रमेशचन्द्र

1. श्री हरीश डेमला पिता श्री गोरखनदास डेमला,
2. श्री आकाश पठेजा पिता श्री गोविंद पठेजा,
3. श्री इन्द्र पठेजा पिता श्री गोविंद पठेजा

(भागीदार)।

(368-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री कृष्णदास अग्रवाल आत्मज स्व. श्री लालचंद अग्रवाल, निवासी-नया बस स्टेण्ड सतना (म.प्र.) फर्म “मै. सेठ मोहनलाल हरप्रसाद अग्रवाल सिहोरा” के एक मात्र जीवित भागीदार है। मेरे पक्षकार द्वारा फर्म के पूर्व भागीदार स्व. रामलाल अग्रवाल के उत्तराधिकारी क्रमशः 1. प्रवीर अग्रवाल, 2. नवीन अग्रवाल, 3. नितिन अग्रवाल एवं 4. पंकज अग्रवाल, निवासी-खितौला बाजार सिहोरा को फर्म में भागीदारों के रूप में समायोजित किये जाने हेतु निर्णय लिया गया है।

अतः मेरे पक्षकार द्वारा फर्म में नये भागीदारों को समायोजित किये जाने पर किसी व्यक्ति, संस्था अथवा विभाग को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन से 10 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें आपत्ति प्राप्त न होने पर फर्म के विधानों के तहत मेरा पक्षकार भागीदारों को समायोजित करेगा। प्रकाशन के 10 दिवस पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

DHANESH KANT TIWARI,

(Advocate),

M.P. High Court Jabalpur

Plot No. 148, COD Colony, Suhagi

Adhartal, Jabalpur (M. P.).

(371-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी
फार्म नम्बर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी के समक्ष।

आवेदक श्री सचिन पिता बंशीधर दुबे, निवासी-45, कुन्दन नगर, बड़वानी द्वारा उपस्थित होकर ‘समविकास सेवा संस्थान’ बड़वानी को

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में 13 अक्टूबर, 2015 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञाप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अधिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता. : समविकास सेवा संस्थान 45, कुन्दन नगर, बड़वानी, जिला बड़वानी।

अचल सम्पत्ति : निरंक।

चल सम्पत्ति : निरंक।

दीपक आर्य,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)।

(518)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभाग-खण्डवा जिला खण्डवा

प्र.क्र.-2/बी/113(1)/2014-15.

दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि श्री गजेन्द्रसिंह सोलंकी पिता स्व. श्री मनोहरसिंह सोलंकी, निवासी ग्राम रनगाँव, तहसील खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को विचार किया जाएगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञाप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता. : श्री राजपूत समाज मांगलिक भवन ट्रस्ट ग्राम रनगाँव,
तहसील खण्डवा, जिला पूर्व निमाड खण्डवा।

चल सम्पत्ति : रुपये 50,000/- मालवा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक, खण्डवा में जमा।

अचल सम्पत्ति : निरंक।

(514)

प्र.क्र.-3/बी/113(1)/2014-15.

दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि श्री प्रवीण साबले पिता विनायकराव साबले, खण्डवा ने अनुसूची में दर्शित न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को विचार किया जाएगा।

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञाप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है। समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता. : हेल्पींग हेण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, जिला ईस्ट निमाड, खण्डवा
 चल सम्पत्ति : रुपये 2002/- नगद.
 अचल सम्पत्ति : निरंक.

शाश्वत शर्मा,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(514-A)

न्यायालय अनुविभगीय एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट नजूल बैरागढ़, वृत्त भोपाल

प्र.क्र.-10/बी-113/14-15. भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र.-1114/रीडर/नजूल/2015.—जैसाकि श्री खूबचन्दनानी, अध्यक्ष श्री वेंकुट धाम विश्राम घाट सेवा न्यास, पता गाँधीनगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2015 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता : श्री वेंकुट धाम विश्राम घाट सेवा न्यास,
 गाँधीनगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.
 अचल सम्पत्ति : संस्था की प्रारंभिक चल-सम्पत्ति रुपये 2100.00.

(515)

प्र.क्र.- 8/बी-113/14-15. भोपाल दिनांक 14 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र.-1116/रीडर/नजूल/2015.—जैसाकि श्री नारीमल, अध्यक्ष जय शिव शंकर मंदिर न्यास, पता जी वार्ड क्रमांक-05, वन ट्री हिल्स, जिला भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 2015 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता : जय शिव शंकर मंदिर न्यास, पता जी वार्ड क्रमांक-05,
 वन ट्री हिल्स, जिला भोपाल.
 अचल सम्पत्ति : संस्था की प्रारंभिक चल-सम्पत्ति रुपये 2100.00.

(515-A)

न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी/रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर, वृत्त भोपाल

प्र.क्र.-13/बी-113/14-15. भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र.-1173/रीडर/अविअ/2015.—जैसाकि श्री प्रमोद नेमा, निवासी-36, गोपाल मंदिर, टीला जमालपुरा, जिला भोपाल द्वारा श्री युग तुलसी हनुमान मंदिर एवं गोशाला न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को विचार में लिया जावेगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	श्री युग तुलसी हनुमान मंदिर एवं गोशाला न्यास,
वार्ड	:	हनुमान मंदिर सांई धाम, पुतलीघर, भोपाल।
अचल सम्पत्ति	:	निरंक।

सी. पी. निगम,
रजिस्ट्रार।

(517)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास अम्बाह, जिला मुरैना

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक अधिनियम, 1959 की धारा-5 (1) के तहत]

आवेदक श्री माखन दास जी महाराज गुरु श्री श्री 1008 ललिताशरण जी महाराज सिद्ध बाबा स्थान किसरोली धाम अम्बाह, जिला मुरैना में मंदिर सिद्ध बाबा किसरोली धाम, तहसील अम्बाह के मध्यप्रदेश लोक न्यास पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन पेश किया है। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को विचार में लिया जायेगा। कोई व्यक्ति उक्त न्यास या सम्पत्ति में हक रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति व सुझाव रखता हो उसे इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है।

अतः मैं, इकबाल मोहम्मद रंगरेज, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, अम्बाह, जिला मुरैना अपने न्यायालय में दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 को उक्त अधिनियम, की धारा-5(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जाँच प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास धारी या इससे हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिवस के अन्दर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय में मेरे समक्ष उक्त दिनांक को या तो स्वयं या अभिभाषक या अधिकारी द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम और पता : मंदिर श्री सेवा ट्रस्ट सिद्ध बाबा किसरोली धाम, तहसील अम्बाह।

(लोक न्यास की चल-अचल सम्पत्ति का विवरण)

चल सम्पत्ति : दैनिक पूजा पाठ का सामान तथा उपयोग में आने वाली सामग्री।

अचल सम्पत्ति : ग्राम किसरोली धाम मंदिर एवं स्थित प्रतिमाएं पेड़ पौधे बगीचा, तालाब, गौशाला, सत्संग गृह, धर्मशाला।

आज दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

इकबाल मोहम्मद रंगरेज,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

(516)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 09 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्रमांक/परि./2015/1555.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत आकाश महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी मर्यादित देवास, पंजीयन क्रमांक 246, दिनांक 18 जनवरी, 2012 को आदेश क्रमांक/परि./2012/1674 से परिसमाप्त में लाया जाकर श्रीमती प्रेरणा जांभेकर, उप-अंकेक्षक को परिसमाप्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमाप्त द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये, जिसके लिये सदस्यों ने कार्ययोजना भी

तैयार की है एवं यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत आकाश महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी मर्यादित, देवास का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्रीमती फरजाना खान, सदस्य श्रीमती रशीदा हुसैन एवं सदस्य श्रीमती फरीदा जब्बार की त्रि-सदस्यीय कमेटी गठित करता हूँ। कमेटी को निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लंबित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 09 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(506)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 04 सितम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
सर्वोदय गृह निर्माण सहकारी संस्था
मर्या., देवास.
द्वारा-अध्यक्ष

क्रमांक/परि./2015/1533.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 03 वर्षों से अकार्यशील होकर अपने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जाएगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(505-A)

देवास, दिनांक 04 सितम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था
मर्या., आनंदपुर डुगरिया.
द्वारा-अध्यक्ष

क्रमांक/परि./2015/1534.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04 वर्षों से अकार्यशील होकर अपने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जाएगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

(505-B)

देवास, दिनांक 04 सितम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था

मर्या., दयालनगर।

द्वारा-अध्यक्ष

क्रमांक/परि./2015/1535.—आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04 वर्षों से अकार्यशील होकर अपने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है। यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकॉर्ड के प्रस्तुत करें।

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जाएगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

के. एन. त्रिपाठी,

उप-पंजीयक।

(505-C)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 02 अक्टूबर 2015-आश्विन 10, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 03 जून, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश कहीं-कहीं मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील टीकमगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुनौर (पन्ना), खुरई, सागर (सागर), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली (उमरिया), मझोली, रामपुरनैकिन (सीधी), सीहोरा, जबलपुर, मझोली, कुन्डम (जबलपुर), नारायणगंज (मण्डला), बजाग, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, पांदुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई—जिला ग्वालियर, सागर, रीवा, मंदसौर, नीमच, देवास, झाबुआ, धार, खरगौन, बड़वानी, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी—..

4. फसल स्थिति—..

5. कटाई—..

6. सिंचाई—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, उमरिया, बड़वानी, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 03 जून, 2015

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, आगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाइ के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
जिला भिंड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिंड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
*जिला उस्तोकनगर:	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्रेरी	..				
5. शाढ़ौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	..				
2. राधोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	12.0				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलोरा	2.0				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..				
2. गौरीहार	1.0				
3. नौगांव	4.2				
4. छतरपुर	3.2				
5. राजनगर	8.2				
6. बिजावर	5.0				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	6.0				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मूँग, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, आलू कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	2.6				
2. पन्ना	11.0				
3. गुनौर	11.0				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, तिवड़ा, राई- सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना	..				
2. खुरई	2.4				
3. बण्डा	..				
4. सागर	2.4				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मूँग, उड़द, गन्ना. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगांव	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ चना, जौ, राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमता	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	5.0				
2. अनूपपुर	4.0				
3. कोतमा	0.5				
4. पुष्पराजगढ़	6.7				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	1.0				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. .. (2)	3. .. 4. (1)	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन 4.0 0.7				
जिला सिंगलौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुम्थड़का 9. संजीत 10. कयामपुर				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रतलाम				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना				

1	2	3	4.	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त।
1. सोनकछु 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त।
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. ... 8. पर्याप्त।
1. जोकट 2. अलीराजपुर 3. कटटीवाड़ा 4. सोणडवा 5. भामरा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. ... 8. पर्याप्त।
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ...	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त।
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरसगर)				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. ... 4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त।
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगाव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
जिला गजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अरहर अधिक. गन्ना समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. व्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, ..	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आषा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमांज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मूँग अधिक. उड़द कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	3.2				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	0.6				
4. मझौली	1.0				
5. कुण्डम	1.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ी	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दुखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	4.7				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) तुअर बिगड़ी हुई, राई-सरसों, गेहूँ चना, मसूर, अलसी, मटर समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	31.2				
2. बजाग	5.2				
3. शाहपुरा	5.4				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	13.4				
2. जुनारदेव	..				
3. परासिया	1.5				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांढुर्णा	8.2				
7. अमरवाड़ा	1.2				
8. चौरई	3.6				
9. बिल्लुआ	5.0				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, मूँफली, गन्ना, अधिक. ज्वार, कोदों- कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवडा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, चना समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरधाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
*जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला अशोकनगर, शहडोल, खण्डवा, बालाघाट से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।